न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय संख्या–01 (भ्र0नि0अधिनियम), मेरठ।

UPME010031982026

उपस्थित–(आलोक द्विवेदी) **उच्चतर न्यायिक सेवा,**
(जे0ओ0 कोड–यू0पी0 6247)

द्वितीय नियमित जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः–885/2026

शाहरूख पुत्र निसार निवासी महपा चौपला, सिवाल खास, थाना जानी, जिला मेरठ।

——————— आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ——————————विपक्षी

सत्र वाद सं0 287/2026
मुकदमा अपराध संख्या–283/2025
अन्तर्गत धारा–115(2) बी.एन.एस.
थाना–सिविल लाईन, जिला–मेरठ।

दिनांक–10.03.2026

यह **द्वितीय नियमित जमानत प्रार्थना पत्र** आवेदक/अभियुक्त शाहरूख की ओर से शपथपत्र से समर्थित करते हुए उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या 283/2025 अन्तर्गत धारा–115(2) बी.एन.एस. थाना–सिविल लाईन, जिला–मेरठ, में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्व है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा दिलदार चौहान ने एक लिखित तहरीर थानाध्यक्ष सिविल लाईन को इस आशय की दी कि प्रार्थी विधि का पालन करने वाला तथा विधि व्यवसाय करने वाला अधिवक्ता है। वह प्रतिदिन मेरठ कचहरी में विधि व्यवसाय करने आता है। प्रार्थी के चैम्बर पर सिवालखास के रहने वाले चांद पुत्र यामीन, शाहरूख पुत्र निसार निवासीगण महपा चौपला थाना जानी मेरठ, प्रार्थी के चैम्बर पर एक मुकदमा सरकार बनाम शाहरूख आदि अंतर्गत धारा 323, 506 आई.पी. सी. थाना जानी मेरठ में तारीख पर आए थे। मुकदमें की तारीख में देरी हो जाने के कारण उक्त लोग प्रार्थी पर अकारण ही तेज आवाज में बोलने लगे और माँ बहन की गंदी गालियां देते हुए बदतमीजी की, जिसका प्रार्थी ने विरोध किया तो उक्त दोनो लोग एक राय होकर प्रार्थी के साथ मारपीट करते हुए चांद ने प्रार्थी की कोली भर ली। शाहरूख ने अपनी अंटी मे लगे चाकू से जान से मारने की नीयत से अचानक से हमला कर दिया जिससे प्रार्थी को गंभार चोट आई। प्रार्थी द्वारा शोर मचाने पर मौके पर काफी लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। भीड़ इकट्ठा होते देख उक्त लोगो ने प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देते हुए भागने का प्रयास किया तो वहां मौजूद अधिवक्ताओं की भीड़ ने उक्त लोगों को पकड़ लिया। समय करीब 3.00 बजे दिनांक 27.10.2025 को पुलिस को सौंप दिया। उक्त चाकू जो मौके से उठाया वह तहरीर के साथ जमा कर रहे हैं। रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गई। वादी की तरहीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत हुआ।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में संक्षेप में कथन है कि उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र सं0 6582/2025 अ0धारा 109(1), 118(1), 131, 351(3), 352 बी.एन.एस. व धारा 4/25 आ0अधि0 में प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 23.12. 2025 को निरस्त कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2026 को उपरोक्त धाराओं में उसकी जमानत स्वीकार की जा चुकी है। पूर्व जमानत प्रार्थनापत्र में

त्रुटिवश धारा 115(2) बी.एन.एस. छूट जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश में भी उक्त धारा का वर्णन नही है जबकि आवेदक/अभियुक्त के वारंट में उक्त धारा का वर्णन है। उक्त धारा में आवेदक/अभियुक्त की जमानत शेष है। धारा 115(2) बी.एन.एस. जमानतीय अपराध है तथा मुख्य अपराध में उसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान कर दी गयी है। अतः धारा 115(2) बी.एन.एस. के अन्तर्गत जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

राज्य की ओर से विद्वान ए.डी.जी.सी. (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने एवं संबंधित पत्रावली, थाने की आख्या तथा अन्य प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व विवेचक द्वारा धारा 109(1), 115(2), 118(1), 131, 351(3), 352 बी.एन.एस. व धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। अभियुक्त के विरूद्व उपरोक्त धाराओं में आरोप भी विरचित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कि0मिस0जमानत प्रार्थनापत्र सं0 7435/2026 में पारित आदेश दिनांकित 26.02.2026 के द्वारा धारा 109(1), 118(1), 131, 351(3), 352 बी.एन.एस. व धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा धारा 115(2) बी.एन.एस. में जमानत हेतु निवेदन किया गया है। आवेदक/अभियुक्त जिला कारागार मेरठ में निरूद्ध है।

अतः गुण–दोष के आधार पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत **द्वितीय** जमानत प्रार्थना पत्र अ0धारा 115(2) बी.एन.एस. स्वीकार किये जाने का न्यायसंगत आधार पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त शाहरूख पुत्र निसार की ओर से प्रस्तुत **द्वितीय जमानत प्रार्थना** पत्र अन्तर्गत धारा 115(2) बी.एन.एस. स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा संबंधित न्यायालय के समक्ष अंकन 50,000/–रूपये का पृथक व्यक्तिगत बंधपत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संबंधित न्यायालय द्वारा जमानत धनराशि निर्धारित किये जाने के संबंध में पारित आदेश दिनांक 06.03.2026 के प्रकाश में जमानत पर रिहा किया जाये।

इस आदेश की एक प्रति ई–मेल के माध्यम से संबंधित कारागार को भेजी जाए।

दिनांक–10.03.2026

(आलोक द्विवेदी)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
विशेष न्यायालय संख्या–01 (भ्र0नि0अधिनियम), मेरठ।
जे0ओ0 कोड यूपी 6247

This is uncertified copy for information reference. For authentic copy please refer to certified copy.